संख्या 3602/जी0एस0(शिक्षा)/A11-268(1)/2025

प्रेषक,

रीना जोशी,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड — देहरादून दिनांक 21 जुलाई, 2025

महोदय,

कृपया श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 250103112144, दिनांक 04.05.2025 एवं तत्क्रम में प्रेषित आख्या का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें **महायोगी गुरू गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी, यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल को बी0एससी0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु नवीन अस्थायी सम्बद्धता प्रस्ताव** संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम–2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33(1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के साथ नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	नवीन अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	महायोगी गुरू गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी, यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल।	बी0एससी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, कम्प्यूटर साइंस)	60 सीट प्रति विषय	2025–26
		बी0एससी0 (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान)	60 सीट प्रति विषय	

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय, शासन से समन्वय स्थापित करते हुए महाविद्यालय में बहुउद्देशी कक्ष मानकानुसार पूर्ण कराना

सुनिश्चित करेगा।

- विश्वविद्यालय, महाविद्यालय से यू0जी0सी0 विनियम, 2009 के उपनियम 3.4.7 में निहित व्यवस्था का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C. विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीया,
Digitally signed by
REENA JOSHI
Date: 19-07-2025
12:58:36
(रीना जोशी)
कुलाधिपति के अपर सचिव

<u>संख्या : 3602/जी0एस0(शिक्षा)/**A11-268(1)**/2025 तद्दिनांकित।</u>
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य– सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 21-07-2025
11:10:22
आज्ञा से,
(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के अनुसचिव।